न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 18/2023

अपीलार्थी

हंजारीमल पुत्र हिन्दुराम जी, जाति– सुथार, निवासी– शास्त्रीनगर, रेवदर, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला– सिरोही
2. ग्राम पंचायत, वासन जरिये सरपंच, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक 27 मार्च, 2025

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार, मण्डार द्वारा ग्राम वासन, पटवार हल्का वासन के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 839 दिांक 16.12.2000 को एवं इस नामान्तरकरण की पुश्त पर अंकित किये गये नक्शें को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अर्न्तगत प्रस्तुत की गई है।

(2) अपीलार्थी की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये जाकर तामिल करवाये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2 (दो) को सम्मन की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) वहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने बहस के दौरान अपीलार्थी की अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम वासन, पटवार हल्का वासन, भू अभिलेख निरीक्षक रेवदर में अपीलार्थी के पुश्तैनी खातेदारी तथा कब्जा काश्त की कृषि भूमि आई हुई है, जिसके खसरा संख्या 863, 864, 865 तथा 861/2 कुल किता 4 रकबा 6–07 बीघा है। उक्त कृषि भूमि कस्बा रेवदर के पास ही रेवदर से मण्डार जाने वाले हाईवे रोड के उत्तर दिशा की तरफ सडक सीमा को छोडकर आई हुई है। अपीलार्थी के खसरा संख्या 863, 864, 865 तथा 861/2 की भूमि मौके पर एक ही चक में है, तथा रेवदर से मण्डार हाईवे रोड के उत्तर दिशा की तरफ है। अपीलार्थी की पुश्तैनी भूमि पर अपीलार्थी के पूर्वजों के समय से लगातार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। अपीलार्थी के पूर्वजों को आवंटित भूमि के बाद ग्राम वासन के खसरा राख्या 861 की भूमि में से रकबा 15 बीघा भूमि का जिला कलेक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांकःएफ 12 (3)(2)राज/2000/2833–36 दिनांक 10.07.2000 से ग्राम पंचायत, बासन को आबादी विस्तार हेतु आवंटन किया गया था एवं आवंटन हेतु आंवटित स्थान को अपीलार्थी की उक्त खातेदारी कृषि भूमि के उत्तर–पश्चिम दिशा की तरफ प्रस्तावित किया गया था जो नक्शा में स्पष्ट दर्शित है। जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा अनुमोदित नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि अपील

.....पेज पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

के साथ प्रस्तुत की गई है, जिसमें ग्राम पंचायत, वासन को आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि को अपीलार्थी की उक्त खातेदारी कृषि भूमि से दूर दर्शित किया गया है। यह कि ग्राम पंचायत, वासन को उक्त आवंटन आदेश तथा उसके साथ अनुमोदित नक्शा के आधार पर जो नामान्तकरण दायर किया गया, उसमें राजस्व अभिलेख नक्शा में अनुमोदित भूमि के स्थान पर तरमीम नहीं कर अपीलार्थी की उक्त खातेदारी की उक्त भूमि को शामिल करते हुए तरमीम किया गया है, जो सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध है। जिसके कारण अपीलार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण एवं नामान्तरकरण की पुश्त पर दर्शित नक्शें को निरस्त कराने हेतु अपील प्रस्तुत की गई है। यह कि तहसीलदार रेवदर के क्षेत्र में ग्राम वासन आता है तथा ग्राम वासन का नामान्तकरण के सम्बंध में आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार रेवदर को है, फिर भी गलत व विधि विरूद्ध तरीके से नायब तहसीलदार मण्डार से नामान्तकरण को स्वीकृत करवाया गया है, जो सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध है। उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण के पिछे जो नक्शा अंकित किया गया है, वह नक्शा, जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा उक्त आवंटन आदेश के साथ अनुमोदित नक्शा के आधार पर अंकित नहीं किया गया है तथा मौके की स्थिति के विपरित गलत नक्शा अंकित किया गया है, जिसमें अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि को भी शामिल कर दिया गया है। राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी के खातेदारी की खसरा संख्या 861/2 की तरमीम नहीं है लेकिन अपीलार्थी की भूमि को छोडकर ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु भूमि का आवंटन किया गया था, जो अनुमोदित नक्शे से ही स्पष्ट है, फिर भी उक्त नामान्तरकरण की पुश्त पर गलत नक्शा अंकित कर गलत नक्शें के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। यह कि नामान्तरकरण पर गलत नक्शा अंकित किए जाने से अपीलार्थी को भारी क्षति व नुकसान उठाना पड रहा है एवं ग्राम पंचायत, वासन द्वारा अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे मौके पर जटिलताएं और विवाद उत्पन्न हो गया है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार, मण्डार द्वारा ग्राम वासन, पटवार हल्का वासन के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 839 दिनांक 16.12.2020 को एवं इस नामान्तरकरण की पुश्त पर अंकित गये नक्शें को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि जिला कलेक्टर, सिरोही के उक्त आदेश दिनांक 10.7.2020 के द्वारा ग्राम पंचायत, वासन को आबादी विस्तार हेतु ग्राम वासन के खसरा 861 मी में रकबा 15 बीघा भूमि आवंटित की गई थी, जिसका पटवारी, वासन द्वारा नामान्तरकरण संख्या 839 दायर किया गया, जिसे नायब तहसीलदार, मण्डार द्वारा दिनांक 16.12.2020 को स्वीकृत किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया गया कि जिला कलेक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांकःप.12(3)(2)राज/2000/2833–36 दिनांक 10.7.2020 के द्वारा ग्राम वासन, तहसील– रेवदर के खसरा संख्या 861 मी. रकबा 58 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 15–00 बीघा भूमि का आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत, वासन को आवंटन किया गया था। जिला कलेक्टर, सिरोही के उक्त आदेश दिनांक 10.7.2020 के द्वारा ग्राम पंचायत, वासन को आबादी विस्तार हेतु ग्राम वासन के खसरा संख्या 861 मी में आवंटित रकबा 15–00 बीघा भूमि का पटवारी हल्का, वासन द्वारा ग्राम पंचायत, वासन के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 839 दायर किया गया, जो भू अभिलेख निरीक्षक, रेवदर की जांच के पश्चात् नायब तहसीलदार, मण्डार द्वारा दिनांक 16.12.2000 को स्वीकृत किया गया है।

इस संबंध में अपीलार्थी का कथन यह है कि "ग्राम वासन, पटवार हल्का वासन, भू अभिलेख निरीक्षक रेवदर में अपीलार्थी के पुश्तैनी खातेदारी तथा कब्जा काश्त की

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.

कृषि भूमि आई हुई है, जिसके खसरा संख्या 863, 864, 865 तथा 861/2 कुल किता 4 रकबा 6–07 बीघा है। उक्त कृषि भूमि कस्बा रेवदर के पास ही रेवदर से मण्डार जाने वाले हाईवे रोड के उत्तर दिशा की तरफ सड़क सीमा को छोड़कर आई हुई है। अपीलार्थी के खसरा संख्या 863, 864, 865 तथा 861/2 की भूमि मौके पर एक ही चक में है, तथा रेवदर से मण्डार हाईवे रोड के उत्तर दिशा की तरफ है। अपीलार्थी की पुश्तैनी भूमि पर अपीलार्थी के पूर्वजों के समय से लगातार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। अपीलार्थी के पूर्वजों को आवंटित भूमि के बाद ग्राम वासन के खसरा संख्या 861 की भूमि में से रकबा 15 बीघा भूमि का जिला कलेक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक:एफ.12(3)(2)राज/2000/2833–36 दिनांक 10.07.2000 से ग्राम पंचायत, वासन को आबादी विस्तार हेतु आवंटन किया गया था एवं आवंटन हेतु आवंटित स्थान को अपीलार्थी की उक्त खातेदारी कृषि भूमि के उत्तर–पश्चिम दिशा की तरफ प्रस्तावित किया गया था जो नक्शा में स्पष्ट दर्शित है।" अपीलार्थी का यह भी कथन है कि "उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण के पिछे जो नक्शा अंकित किया गया है, वह नक्शा, जिला कलेक्टर, सिरोही के उक्त आवंटन आदेश के साथ अनुमोदित नक्शा के आधार पर अंकित नहीं किया गया है तथा मौके की स्थिति के विपरित गलत नक्शा अंकित किया गया है, जिसमें अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि को भी शामिल कर दिया गया है। राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी के खातेदारी की खसरा संख्या 861/2 की तरमीम की हुई नहीं है लेकिन अपीलार्थी की भूमि को छोड़कर ग्राम पंचायत, वासन को आबादी विस्तार हेतु भूमि का आवंटन किया गया था, जो अनुमोदित नक्शें से ही स्पष्ट है।"

इस प्रकार, अपीलार्थी के कथनों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने यह अपील, राजस्व नक्शें में की गई तरमीम को दुरस्त करवाने के लिये प्रस्तुत की है, जबकि राजस्व नक्शें में तरमीम में हुई त्रृटि को सक्षम न्यायालय द्वारा ही दुरस्त किया जा सकता है। चूंकि पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण, जिला कलेक्टर, सिरोही के उक्त आदेश दिनांक 10.7.2020 की पालना में नियमानुसार दायर व स्वीकृत हुआ है। यदि राजस्व नक्शें में तरमीम मे कोई त्रृटि हुई है तो इस हेतु अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में चाराजोहि करनी चाहिये। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी, अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27 मार्च, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश कुमार सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Scanned with OKEN Scanner